जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक/एफ/प्रशा/स्था/2020/2715 दिनांक 21/03/2020

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक 38/एसीएस/जीएडी/2020 भोपाल, दिनांक 19 मार्च 2020 के परिपालन में विश्वविद्यालय में कोरोना वाइरस की रोकधाम के लिये समस्त नियंत्रक अधिकारियों परीक्षा नियंत्रक/उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव एवं अन्य समस्त नियंत्रक अधिकारियों एवं शैक्षणिक विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीनस्थ तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रतिदिन प्रत्येक विभाग/शाखा में 50 फीसदी का संख्या में ही कार्यालय में उपस्थित रहें, शेष 50प्रतिशत कर्मचारी Alternate दिवस में कार्यालय में उपस्थित रहेगें। तथा कर्मचारी मोवाइल/दूरभाष से सम्पर्क में रहकर कार्यालयीन कार्य का अपने निवास से ही निवर्हन करें। यह प्रक्रिया प्रतिदिन रोटेशन से अपनाई जाए और इनके अभिलेख संबधित विभाग के अधिकारी (प्रशासनिक/शैक्षणिक विभागाध्यक्ष) कार्यालय में सूचीबद्ध कर संधारित करें। आदेशों का कडाई से परिपालन सुनिश्चित करें। साथ ही समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता हैं कि वे अपने कार्यालयीन समय अपने निवास पर रहते समय अपना मोबाईल फोन बन्द न रखे ताकि उन्हे किसी भी तात्कालिकता की स्थिति में बुलाया जा सके। यदि मोबाइल बन्द रहने एवं सम्पर्क न होने की स्थिति में कर्मचारी का उक्त दिवस की अनुपस्थित मानी जावेगी।

कुलसचिव 21/3/20

प्रति,

विश्वविद्यालय के समसत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ओर सूचनार्थ ।

प्रतिलिपि :–

1. समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक/शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. जीवाजी विश्वविद्यालय तृतीय श्रेणी कर्मचारी संध ग्वालियर।
3. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. उप/सहा0 कुलसचिव (प्रशा0), जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
7. विश्वविद्यालयीन वेबसाइट पर प्रसारित हेतु।

उप/सहा0कुलसचिव (प्रशा0)

Scanned with CamScanner